न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

प्रा.पत्र मुत.(मुन्तकली) संख्या– 18/19 **सन् 2019**

आरसीएमएस संख्या 2019/00089

बउनवानी :– 1. जगदीश पुत्र जयलाल जाति गुर्जर निवासी अमावरा, तहसील बामनवास

बनाम

1. हनुमान पुत्र बद्री मीना, निवासी चौकीदारो की ढाणी तहसील बामनवास
2. जगदीश पुत्र रूग्गा मीना, निवासी चौकीदारो की ढाणी तहसील बामनवास
3. चिरंजी पुत्र रूग्गा मीना, निवासी चौकीदारो की ढाणी तहसील बामनवास
4. छोटया पुत्र रूग्गा मीना, निवासी चौकीदारो की ढाणी तहसील बामनवास
5. राधाकिशन पुत्र बद्री मीना, निवासी चौकीदारो की ढाणी तहसील बामनवास
6. श्री विजेन्द्र मीना, उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

(मुन्तकली प्रार्थना पत्र विरूद्ध उप जिला कलेक्टर बामनवास मे जैरकार प्रकरण सख्या 38/19 दावा व प्रार्थना टी.आई संख्या 31/19 उनवानी जगदीश बनाम हनुमान वगै. अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट)

उपस्थितः 1. श्री चेतीराम मीना वकील प्रार्थी

–: निर्णय :– **दिनांक 9.9.2019**

वकील प्रार्थी ने न्यायाालय उपजिला कलेक्टर बामनवास में विचाराधीन प्रकरण सख्या 38/19 दावा व प्रार्थना टी.आई संख्या 31/19 उनवानी जगदीश बनाम हनुमान वगै. के सम्बन्ध में अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.ऐक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने बाबत इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत से प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों के सम्बन्ध टिप्पणी तलबी की गयी साथ ही सम्बन्धित विपक्षीगणों की सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी। किन्तु बावजूद तामील नोटिस अप्रार्थीगण नियत दिनांक को न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी।

तत्पश्चात् बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम अमावरा तहसील बामनवास का निवासी है तथा पेशे से काश्तकार है और विपक्षीगण भी ग्राम अमावरा के निवासी है तथा लडाकू किस्म के गिरोहबन्द एवं राजनैतिक एप्रोच वाले लोग है। यह तर्क भी दिया कि उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय में प्रार्थी का दावा व टी0आई जैरकार है जिसमे विपक्षीयान ने योग्य अदालत मातहत पर राजनैतिक नेताओं का अनैतिक रूप से विपक्षीगणों के पक्ष में फैसला किये जाने का दबाव बना रखा है एवं आये दिन विपक्षीगण खुलेआम ऐलानिया कहते है कि हमने हमारे नेताओं से उपजिला कलेक्टर बामनवास को सिफारिश करवा दी है इसलिए उपजिला कलेटर हमारे पक्ष में ही दावा का फैसला करेगा। यह कथन भी किया कि प्रार्थी को विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उपजिला कलेक्टर बामनवाास द्वारा भी अप्रार्थीगणों द्वारा नेताओं से अनावश्यक दबाव डाले जाने की वजह से प्रार्थना पत्र सें संबधित प्रकरण संख्या 38/19 दावा प्रकरण संख्या 31/19 टीआई मे कानून सम्मत फैसला नही कर पा रहा है प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के अनुसार प्रकरण में न्याय होता प्रतीत होना चाहिए। न्याय की बजाय किसी व्यक्ति के साथ मे जो न्याय मांगने आये है और उसके साथ मे अन्याय हो जावे ऐसी सूरत में

डॉ० एस० पी० सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सम्मानीय न्यायालय मे भरी अदालत मे यह कहा है कि मै उक्त दोनो प्रकरणों मे न्याय नही कर पा रहा हूँ इसलिए इन मुकदमों को अन्य राजस्व न्यायालयों मे स्थानान्तरित करवा ले। इस प्रकार सम्मानीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी नेताओं के अनावश्यक दबाव में आकर उक्त प्रकरण में प्रार्थी के साथ न्याय नही कर पायेगें इसलिए उक्त प्रकरण को अन्यत्र राजस्व न्यायालय मे मुन्तकिल करने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

उपजिला कलेक्टर बामनवास की ओर प्राप्त टिप्पणी में भी पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 6.9.2019 वास्ते सुनवायी नियत है तथा उक्त प्रकरणों में अनावश्यक दबाव का सामना करना पड रहा है। जिसके संबंध में न्यायालय पत्रांक कोर्ट/रीडर/19/1227 दिनांक 29.7.2019 से श्रीमान को निवेदन किया गया है। इसलिए उक्त प्रकरणों को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल करने बाबत निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थीपक्ष की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहॅचूता हूॅं, कि उपजिला कलेक्टर बामनवास से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार अप्रार्थीगणों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर उक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु अनावश्यक दबाब बनाया जा रहा है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथन की पुष्टि पीठासीन अधिकारी से प्राप्त टिप्पणी से बखुबी हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण जो उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय से दिगर न्यायालय मे मुन्तकिल किया जाना उचित समझता हूँ।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय मे जैरकार दावा सख्या 38/19 एवं टी.आई प्रार्थना पत्र संख्या 31/19 उनवानी जगदीश बनाम हनुमान वगै. को उपजिला कलेक्टर बामनवास के न्यायालय से उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे स्थानान्तरित किया जाता है। उपजिला कलेक्टर बामनवास को निर्देशित किया जाता है, कि उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित मिसल को दिनांक 30.9.2019 से पूर्व आपके न्यायालय से स्थानान्तरित कर उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करे। पक्षकारान दिनांक 30.9.2019 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 9.9.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.11.20 17:32:35 IST
Reason: SelfAttested
Location: